



विलोपित

विलोपित

१९

८०

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल प्रधापदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

१३७५ निगरानी-५७४७/३मरिया/भूरे

क्रमांक का छापना
दिनांक ११-९-१८
प्रस्तुति प्राप्तिक द्वारा है
दिनांक ०१० १८ नियत।

११-९-१८
शासन प्रधान द्वारा कलेक्टर महोदय,
उमरिया।

बिराघाड़ी
११-९-१८

सुनील कुमार पत्र रामवास पिंडा,
निवासी सुटार (मानपुर) तेहसील मानपुर
जिला उमरिया (प्रधापदेश)

— प्रार्थी

बिराघाड़ी
प्रधापदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
उमरिया।

— प्रतिपुरार्थी

प्रधापदेश मूर्खाजाल्य संहिता, १६५६ की धारा ८ के अधीन प्राप्त अधीक्षण
शवित्याँ का प्रयोग है तु कलपठित धारा ५० मूर्खाजाल्य संहिता, के
अधीन प्रार्थना पत्र बिराघाड़ी आदेश अपर कमिशनरमहोदय शहरोल समाग
दिनांक १३-१२-१७। प्रकरण २११४-१५ निगरानी।

श्रीमान् जी,

प्रार्थना-पत्र निम्न बाधाराँ पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर बायुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय की बाजारे
कानून सही नहीं है।

२- यह कि, अपर बायुक्त महोदय एवं कलेक्टर ने प्रकरण के स्वत्प संव
कानूनी विधि को लही नहीं समझा है।

यह कि, एक लम्बे समय पश्चात् कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण
स्वयं निगरानी में लेकर प्रारंभिक न्यायालय के आदेश को निरस्त
-किये जाने में झुल की है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ न्यायालयों के
विनिधारणों पर मैं समुचित विचार नहीं किया है।

३- यह कि, विवादित मूमि पर प्रार्थी का दिनांक २-१०-१६४४
को कब्जा होना न मानने में मूल की है। कलेक्टर महोदय संव

न्यायालय
क्रमांक
०३-१०-१८
प्रार्थना
दिनांक
११-९-१८

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-5747/2018/उमरिया/भू.रा.

सुनील कुमार विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-10-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक को ग्राह्यता पर सुना गया।</p> <p>2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक अभिभाषक के द्वारा ग्राम खुटार स्थित आराजी खसरा क्रमांक 182/1 जुज रकबा 0.0809 है। भूमि का भूमिस्वामी उन्हें दखल रहित भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किया जाना विशेष अधिनियम 1984 के अंतर्गत नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा दिनांक 05-12-1998 को भूमिस्वामी घोषित किया गया।</p> <p>3. कलेक्टर उमरिया द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ नोटिस देते हुए एवं सुनवाई पश्चात नायब तहसीलदार का आदेश विधि विरुद्ध पाते हुए प्रश्नाधीन भूमि को म.प्र. शासन दर्ज करने का आदेश दिनांक 11-04-2011 को पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13-1-2017 के द्वारा कलेक्टर उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-04-2011 को यथावत रखते हुए आवेदक सुनील कुमार पुत्र रामनिवास का निगरानी आवेदन निरस्त किया गया।</p> <p>5. दखल रहित भूमि का भूमिस्वामी का अधिकार प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध 1984 के अंतर्गत भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक है कि आवेदक का दिनांक 02-10-</p>	<p>मार्च 2019 23-X-18</p>

३

1984 के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होना चाहिए एवं आवेदक उसी ग्राम का निवासी होते हुए कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता हो। अपर आयुक्त के विषयांकित आदेश दिनांक 13-12-2017 से स्पष्ट है कि कलेक्टर के द्वारा आवेदक को कारण बताओ नोटिस देकर सुनवाई करने के पश्चात ही प्रश्नाधीन आराजी को म.प्र.शासन दर्ज करने का आदेश दिया गया था एवं आवेदक का शासकीय अभिलेखों में कब्जा मात्र 2 वर्ष (1993-94, 1994-95) में दर्ज था। अर्थात् 02-10-1984 की स्थिति में अभिलेखों में आवेदक का कब्जा अंकित नहीं था। प्रस्तुत निगरानी आवेदन में आवेदक के द्वारा मेरे समक्ष ऐसा कोई शासकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह विधित हो कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 02-10-1984 की स्थिति में कब्जा रखता था। कलेक्टर उमरिया ने प्रश्नाधीन भूमि को जंगल मद की भूमि पाया है। आवेदक के पात्र न होने की स्थिति में ही प्रश्नाधीन भूमि को म.प्र.शासन दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

6. अतः उपरोक्त के अनुक्रम में एवं दिनांक 02-10-1984 को भूमि का कब्जा प्रमाणित नहीं किये जाने के कारण आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है।

23.1.18
(आर.के. जैन)

सदस्य